सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्,
राज्य परियोजना कार्यालय,
निशातगंज, लखनऊ।

सेवा में,

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त जनपद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद।

पत्रांक– गु0वि0–सेवारत प्रशिक्षण/ 2063 / 2011–12 दिनांक– 03 अगस्त, 2011

विषय–सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विषयक निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009" के अन्तर्गत सरकार का दायित्व न केवल बच्चों का अधिगम (learning) सुनिश्चित करना है, वरन् बच्चों के अधिगम के लिये भय/तनाव/भेदभाव मुक्त रूचिपूर्ण विद्यालयीय वातावरण भी सुनिश्चित करना है। अतः सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से गुणवत्तापरक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये अधिनियम में उल्लिखित बाल अधिकारों एवं उनके संरक्षण के संबंध में कर्तव्यों एवं दायित्वों को जानने के साथ–साथ "राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005" में प्रस्तावित शिक्षण एवं आकलन की विधाओं को भी जानने की महती आवश्यकता है, जो बच्चों के अधिगम संवर्द्धन के साथ–साथ रूचिपूर्ण विद्यालयीय वातावरण सृजन में भी सहायक होंगी।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुये सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011–12 में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् समस्त शिक्षकों, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों/सह–समन्वयकों तथा शैक्षिक प्रशासकों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/बी0आर0सी0 स्तर पर दो चरणों में 06 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रस्तावित प्रशिक्षण हेतु नवीन शिक्षक मैनुअल **"सम्वाद"** एवं सत्र योजना पुस्तिका का निर्माण राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर सर्वप्रथम राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। इसके उपरान्त जनपद में संदर्भदाताओं/शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुरूप कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशन में किया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 स्तर पर आयोजित होने वाले सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु एक बैच में औसतन 50 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर प्रति ब्लाक संसाधन केन्द्र/नगर संसाधन केन्द्र 08 सन्दर्भदाताओं तथा बी0आर0सी0 स्तर पर प्रत्येक एन0पी0आर0सी0 के 01 सदस्य को सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के भौतिक लक्ष्य में सम्मिलित किया जायेगा। निर्धारित

दूरभाष : 2780995, 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 2780998, 2781316 ई-मेल : spdup@rediffmail.com; upefa@upefa.com; upeducation@nic.net

समय–सारिणी के अनुसार प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु दो बैच एक साथ संचालित किये जायेंगे। इसके लिए स्थान आदि आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कराने का दायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी/समन्वयक का होगा।

यह 06 दिवसीय प्रशिक्षण दो चरणों में प्रदान किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 04 दिवसीय तथा द्वितीय चरण में 02 दिवसीय प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। प्रथम चरण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त शिक्षक अपने विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण के अनुरूप अध्ययन–अध्यापन और प्रशिक्षक/समन्वयक/सह–समन्वयक/शैक्षिक प्रशासक पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन प्रदान करने का कार्य करेंगे। दो माह के पश्चात प्रथम चरण के प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों एवं प्रशिक्षणोंपरान्त कक्षा–शिक्षण के फीड–बैक के विश्लेषण के आधार पर पुनः मास्टर ट्रेनर्स, संदर्भदाताओं एवं समस्त शिक्षकों को 02 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिये ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर माह के अन्तिम कार्यदिवस वाले शनिवार को न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र समन्वयकों की नियमित बैठकें आयोजित की जायेंगी। द्वितीय चरण के 02 दिवसीय प्रशिक्षण में आवश्यकता के आधार पर कक्षा 1–3 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को रीडिंग पैडागॉजी के संबंध में, कक्षा 4–8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को गतिविधि आधारित विज्ञान, गणित व सामाजिक अध्ययन पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

प्रथम चरण में 04 दिवसीय प्रशिक्षण की कार्ययोजना:–

राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स, जनपद स्तर पर संदर्भदाता एवं बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों का 04 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का 04 दिवसीय प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 08 चक्रों में दिनॉक 09 अगस्त, 2011 से 30 अगस्त, 2011 के मध्य निम्नानुसार किया जायेगा:–

राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण –04 दिवसीय

स्थल– वैकल्पिक ऊर्जा शोध विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र (नेडा), देवा रोड, चिनहट, लखनऊ। दूरभाष –09415609075, 09415904216, 09721663322

प्रतिभागी–प्रति जनपद –06 (विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय एवं भाषा के 01–01 दक्ष संदर्भदाता, 01 अन्य संदर्भदाता, जिला समन्वयक (प्रशिक्षण))

चक्र :– 08

प्रशिक्षण चक्र की तिथियाँ एवं उसके अनुसार आमंत्रित जनपदों के नाम :– प्रत्येक चक्र में 60–60 प्रतिभागियों के दो बैच संचालित होंगे। तद्नुसार निम्नवत जनपद राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण में प्रतिभाग सुनिश्चित करेंगे :–

प्रथम चक्र : 09–12 अगस्त, 2011

बैच –1 : लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोण्डा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फैजाबाद।

बैच –2 : कानपुर नगर, रमाबाई नगर, हरदोई, रायबरेली, सुल्तानपुर, औरैया, फर्रूखाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर।

द्वितीय चक्र : 16–19 अगस्त, 2011

बैच –1 : सिद्धार्थनगर, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, संतकबीर नगर, जौनपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर, देवरिया, शाहजहाँपुर।

बैच –2 : पीलीभीत, बरेली, बदायूँ, एटा, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महाराजगंज, कुशीनगर, फिरोजाबाद।

तृतीय चक्र : 23–26 अगस्त, 2011

बैच –1 : अलीगढ, आगरा, आजमगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, मथुरा, बुलन्दशहर, गाजीपुर, बिजनौर, जे0पी0नगर।

बैच –2 : मिर्जापुर, झाँसी, महोबा, ललितपुर, रामपुर, बागपत, बॉदा, सोनभद्र, संत रविदास नगर, मऊ।

चतुर्थ चक्र : 27–30 अगस्त, 2011

बैच –1 : मुजफफरनगर, सहारनपुर, वाराणसी, चन्दौली, चित्रकूट, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हमीरपुर, महामाया नगर, बलिया, ।

बैच –2 : बस्ती, कांशीराम नगर ।

जनपद स्तर पर ब्लॉक सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण –04 दिवसीय
स्थल– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
प्रतिभागी–प्रति विकासखण्ड/नगर क्षेत्र –06 (विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय, अंग्रेजी एवं हिन्दी के 01–01 दक्ष संदर्भदाता एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी)
प्रशिक्षण तिथियाँ : 02–15 सितम्बर, 2011 तक।

ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों का प्रशिक्षण –04 दिवसीय
स्थल– बी0आर0सी0/यू0आर0सी0
प्रतिभागी–प्रत्येक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षक तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक।
प्रशिक्षण तिथियाँ : 16 सितम्बर, 2011 से 28 अक्टूबर, 2011 तक।

प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सन्दर्भदाता के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अपने जनपद के प्रत्येक बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 से 07–07 ऐसे शिक्षकों को, खण्ड शिक्षा अधिकारी/समन्वयक एवं जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) के सहयोग से चयनित करेंगे, जो सामाजिक विषय, हिन्दी, विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी शिक्षण की विशेष दक्षता रखते हों। इनके अतिरिक्त सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी/समन्वयक भी सन्दर्भदाताओं के प्रशिक्षण में अनिवार्यतः प्रतिभाग करेंगे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 समन्वयक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के उन शिक्षकों की सूची तैयार करेंगे, जिन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करना है तथा प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों एवं न्याय पंचायत समन्वयकों की संख्या को जोड़ते हुए इस तरह से प्रशिक्षण कार्य योजना तैयार करेंगे कि कोई भी शिक्षक/विद्यालय प्रशिक्षण से छूटा न रहे तथा अध्यापन कार्य भी बाधित न हो। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत प्रशिक्षण में शिक्षकों का आगणन करते समय शिक्षा मित्रों को भी लक्ष्य में सम्मिलित किया जायेगा।
द्वितीय चरण के प्रशिक्षण की कार्ययोजना :– द्वितीय चरण के 02 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की समय–सारिणी पृथक से प्रेषित की जायेगी।

एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रत्येक माह पर 01 दिन) दिया जायेगा। इसके लिये न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र पर प्रत्येक शिक्षक के लिये माह में एक दिन प्रशिक्षण/बैठक आयोजित की जायेगी। यह बैठक/प्रशिक्षण प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित की जायेगी तथा इसके लिये विषयों के आधार पर रोस्टर निम्नवत् तैयार किया जायेगा:–

क्र0 सं0	स्तर	कब	विषय	सुगमकर्ता
1.	न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र	माह का पहला बृहस्पतिवार	भाषा शिक्षण	संबंधित विषय के सह–समन्वयक अथवा संबंधित विषय के सी0आर0जी0/बी0आर0जी0/डी0आर0जी0 सदस्य।
2.		माह का दूसरा बृहस्पतिवार	विज्ञान शिक्षण	
3.		माह का तीसरा बृहस्पतिवार	गणित शिक्षण	
4.		माह का चौथा बृहस्पतिवार	सामाजिक विषय, कला, शारीरिक शिक्षा	
5.	ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र	माह का अन्तिम कार्यदिवस वाला शनिवार	गुणवत्ता के संदर्भ में एन0पी0आर0 सी0सी0/ए0बी0आर0 सी0सी0 की बैठक	

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले एक दिवसीय प्रशिक्षण/बैठक में उस माह तक सम्पन्न हो चुके प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उनके आधार पर कक्षा शिक्षण में आ रही समस्याओं पर चर्चा की जायेगी। चर्चा के उपरांत प्रतिभागी शिक्षक समूह के साथ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक संदर्शिकाओं के आधार पर पाठ योजनायें एवं शिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी। इन पाठयोजनाओं एवं प्रशिक्षण सामग्री को कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त किया जायेगा।

शैक्षिक सत्र 2011–12 में जनपद के सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण की प्रगति निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत की जायेगी :–

प्राथमिक स्तर

क्र.स.	वर्ष 2011–12 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि (वित्तीय)
बी0आर0सी0 स्तर पर						
एन0पी0आर0सी0 स्तर पर						
योग						

उच्च प्राथमिक स्तर

क्र.स.	वर्ष 2011–12 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि (वित्तीय)
बी0आर0सी0 स्तर पर						
एन0पी0आर0सी0 स्तर पर						
योग						

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 संदर्भदाताओं का तथा बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 पर एन0पी0आर0सी0 संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण

क्र.स.	वर्ष 2011–12 में अनुमोदित प्रशिक्षणों के नाम	लक्ष्य (मैनडेज में)	प्रतिभागी संदर्भदाताओं की संख्या	प्रशिक्षण दिवस की संख्या	उपलब्धि (मैनडेज में)	उपलब्धि
डायट पर						
बी0आर0सी0 पर						
योग						

<u>सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश–</u>

I. शैक्षिक सत्र 2011–12 में सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 पर **06 दिवसीय** प्रशिक्षण तथा एन0पी0आर0सी0/यू0ई0आर0सी0 पर **10 दिवसीय** फॉलोअप प्रशिक्षण/समीक्षा बैठकों का सुचारू कियान्वयन करने के लिये प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) द्वारा प्रत्येक दशा में ***10 अगस्त, 2011 तक*** जनपद की प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनायी जायेगी। कार्ययोजना में केवल प्रशिक्षण कराने की समयसारिणी ही नहीं बनायी जायेगी वरन् इसमें निम्न पक्षों को भी समाहित किया जाय :–
   - (i) जनपदों के वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/राजकीय विद्यालयों/वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों आदि के शिक्षकों को सम्मिलित करते हुये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का निर्धारण।
   - (ii) प्रति बैच 50 शिक्षकों को ध्यान में रखकर सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण सम्पन्न कराने के लिए कार्य दिवसों की गणना।

(iii) आवश्यकतानुसार स्थानीय इण्टर, डिग्री एवं बी0एड0 कालेज के विषय विशेषज्ञों / शिक्षाविदों अथवा स्वयंसेवी संस्थानों के विशेषज्ञों को अतिथि वक्ता /आमंत्री अतिथि के रूप में चिह्नांकन।

(iv) प्रशिक्षणों के संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण में बतायी गयी विधा के अनुरूप कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण कराने के लिए योग्यता, रूचि, अनुभव के आधार पर संदर्भदाताओं का चिह्नांकन और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप (डी0आर0जी0), ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप (बी0आर0जी0) एवं क्लस्टर रिसोर्स ग्रुप (सी0आर0जी0) का गठन।

(v) बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक/डायट मेण्टर/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की सम्मिलित करके प्रशिक्षणोंपरान्त अनुश्रवण की रणनीति, जिसमें एक दिवसीय प्रशिक्षण का अनुश्रवण करने के लिये एक शैक्षिक सत्र में प्रत्येक एन0पी0आर0सी0 पर दो बार अनिवार्य रूप से पर्यवेक्षण भी सम्मिलित हो।

2. प्रशिक्षण के संचालन, अनुश्रवण एवं परिवर्द्धन विषयक समस्त निर्देश प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एन0पी0आर0सी0/बी0आर0सी0 समन्वयकों को लिखित रूप में प्रेषित किये जायें। प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण एवं शैक्षिक गतिविधि के अभिलेख जैसे प्रतिभागियों की सूची, समय--सारिणी एवं प्रशिक्षण दिवस की आख्या तथा प्रशिक्षण की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रूप से रखी जाये।

3. सभी प्रशिक्षणों के समय प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूर्व (Pre-Training test) एवं प्रशिक्षण पश्चात् (Post-Training Test) मूल्यांकन अवश्य करायें, जिससे प्रशिक्षण के प्रभावों का अध्ययन किया जा सके।

4. प्रतिभागी प्रशिक्षण में सीखे गये तथ्यों को क्लासरूम में किस प्रकार प्रयोग करेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रशिक्षण के बाद उनसे ट्रेनिंग लर्निंग रिपोर्ट तैयार करायी जाय। ट्रेनिंग लर्निंग रिपोर्ट में प्रतिभागी सीखे गये तथ्यों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नांकित करेंगे और उन तथ्यों को कक्षा–कक्ष में प्रयोग करने की समय–सारिणी बनायेगें। इसी ट्रेनिंग लर्निंग रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मेण्टर, डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 सदस्य, जिला/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कक्षा कक्ष में प्रशिक्षण का प्रभाव का आकलन करेंगे। कक्षा कक्ष पर प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन कराने हेतु जनपद में स्थित महाविद्यालयों के शिक्षा विभाग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त किया जाये।

5. कक्षा–कक्ष में प्रशिक्षण के प्रभाव के आकलन की आख्या पर बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0/डायट की बैठकों में चर्चा की जायेगी। आकलन के आधार पर चिह्नित गैप्स को न्याय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण में पूरा किया जायेगा।

6. जनपद के वित्तीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, समाज कल्याण के विद्यालय तथा वित्तीय सहायता प्राप्त मदरसों के कक्षा 1–5 तक पढ़ाने वाले अधिकतम 5 तथा कक्षा 6–8 को पढ़ाने वाले अधिकतम तीन शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाये।

7. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि शैक्षिक सत्र 2011–12 में एन0पी0आर0सी0/ यू0ई0आर0सी0 पर 01 दिवसीय फालोअप प्रशिक्षण/बैठक का संचालन अगस्त, 2011 से प्रत्येक माह में होता रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर शैक्षिक सत्र 2011–12 में प्रस्तावित 06 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों में आयोजित कराया जायेगा। एन0पी0आर0सी0/ यू0ई0आर0सी0 पर 01 दिवसीय फालोअप प्रशिक्षण/बैठक और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर 06 दिवसीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011–12 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर होने वाले 06 दिवसीय सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण

(**संलग्नक–1** : जनपदवार लक्ष्य की तालिका) की माहवार प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा मा0 मुख्यमंत्री जी के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी की जायेगी। इस हेतु माहवार मानक उपलब्धि निम्नवत् प्रस्तावित है:–

माह	**मानक उपलब्धि (क्रमिक)**
सितम्बर 2011 तक	10 प्रतिशत
अक्टूबर 2011 तक	30 प्रतिशत
नवम्बर 2011 तक	60 प्रतिशत
दिसम्बर 2011 तक	80 प्रतिशत
जनवरी 2012 तक	95 प्रतिशत
फरवरी 2012 तक	100 प्रतिशत

9. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन करने में यह ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण के कारण विद्यालय बन्द न हो जाये। प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने के लिए निर्धारित तिथि से एक दिन पहले जाने के लिए तथा एक दिन बाद आने के लिए अवकाश कदापि देय नही होगा।
10. जनपद स्तर/ब्लॉक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण को आयोजित करने से पूर्व राज्य स्तर से प्रशिक्षत मास्टर ट्रेनर एवं प्रशिक्षण मॉडयूल की उपलब्धता अवश्य सुनिश्चित कर लें। मास्टर ट्रेनर एवं प्रशिक्षण मॉडयूल के बिना जनपद/ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कदापि आयोजित न करें। यदि किसी जनपद में इस प्रकार के अनियमित प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं तो प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) एवं ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक उत्तरदायी होंगे।
11. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये यथा आवश्यकता जनपद में उपलब्ध बी0एड0 कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इण्टर कॉलेज के शिक्षाविदों अथवा स्वयंसेवी संस्थानों के विशेषज्ञों को आमंत्री अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाये।

प्रशिक्षण मॉडयूल एवं शिक्षक मैनुअल की व्यवस्था

1. प्रस्तावित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षकों के प्रयोगार्थ **"सत्र योजना पुस्तिका"** तथा शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के प्रयोगार्थ मैनुअल *"सम्वाद"* राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किये गये हैं। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षकों के प्रयोगार्थ ***विकसित "सत्र योजना पुस्तिका"*** की एक–एक प्रति प्रत्येक मास्टर ट्रेनर को, पॉच–पॉच प्रति प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना कार्यालय, सात–सात प्रति प्रत्येक बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के प्रयोगार्थ विकसित मैनुअल "सम्वाद" की एक–एक प्रति प्रत्येक मास्टर ट्रेनर को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी।
3. जनपद के अन्य संदर्भदाताओं, शैक्षिक प्रशासकों एवं समस्त शिक्षकों को "सम्वाद" की एक–एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए मुद्रण, सत्यापन, वितरण एवं भुगतान की कार्यवाही प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की जायेगी। इसके लिए नवविकसित मैनुअल "सम्वाद" की सी0डी0 एवं मुद्रण विशिष्टियॉ राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय निर्देश–

1. सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण संचालन हेतु 50 प्रतिशत धनराशि संलग्न तालिकानुसार जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है (संलग्नक–2)। प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रख–रखाव एवं व्यय प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

2. वर्ष 2011–12 हेतु अवमुक्त धनराशि के व्यय की समीक्षा के उपरान्त मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेंट में दिये गये प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र **दिनांक 30 नवम्बर, 2011** तक राज्य परियोजना कार्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाय।

3. वर्ष 2011–12 हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण की मानक दर ब्लॉक संसाधन केन्द्र स्तर पर ₹ 200/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर ₹ 100/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन स्वीकृत की गयी है। अतः सम्यक विचारोपरान्त इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनपद का औसत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण व्यय ₹ 200/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ही रहेगा तथा जनपदों में विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशिक्षण का व्यय निम्नवत रहेगा :–

   (i) **न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर–**₹ 60/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन (गैर आवासीय)

   (ii) **ब्लॉक संसाधन केन्द्र स्तर–**

   (क) ₹ 150/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन(गैर आवासीय)

   (ख) ₹ 200/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन(आवासीय)

   (iii) **जनपद स्तर–**

   (क) ₹ 190/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन (गैर आवासीय)

   (ख) ₹ 230/– प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन (आवासीय)।

   सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण हेतु स्थल के अनुसार निर्धारित उपर्युक्त दरें पत्र निर्गमन की तिथि से लागू होंगी तथा पत्र निर्गमन से पूर्व सम्पन्न सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन पूर्व में प्रचलित निर्देशों के अधीन किया जायेगा। गैर आवासीय प्रशिक्षण में जलपान, दोपहर का भोजन, प्रशिक्षण सामग्री, यात्रा देयक, प्रशिक्षक मानदेय, कटिंनजेन्सी आदि सभी व्यय सम्मिलित होंगें । आवासीय प्रशिक्षण में जलपान, प्रशिक्षण सामग्री, यात्रा देयक, प्रशिक्षक मानदेय, कटिंनजेन्सी आदि के अतिरिक्त आवास व दोनो प्रहर के भोजन की व्यवस्था भी करनी होगी। प्राथमिकता के आधार पर इन मानक दरों का प्रचार–प्रसार किया जाये तथा इसी के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायें।

4. जनपद में संचालित किये जा रहे ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशिक्षणों तथा प्रशिक्षण में बतायी गयी शिक्षण विधा के अनुसार विद्यालयों में कक्षा शिक्षण होने का नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण अवश्य किया जाये। डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 सदस्यों द्वारा प्रशिक्षणों की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के अनुरूप कक्षा शिक्षण में बदलाव के आकलन हेतु किये गये पर्यवेक्षण/अनुश्रवण सम्बन्धी व्यय आर0ई0एम0एस0 मद में प्रेषित धनराशि से वहन किया जायेगा।

5. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2011–12 में स्वीकृत सेवारत शिक्षक–प्रशिक्षण का संचालन वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार सुनिश्चित किया जाये तथा इस हेतु आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों के लिये प्रतिभागी संख्या एवं दिवस का आगणन करते हुये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों और विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों को धनराशियॉ प्रशिक्षण से एक माह पूर्व उपलब्ध करा दी जायें।

6. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों और विकासखण्ड संसाधन केन्द्रों पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उक्त प्रशिक्षणों के अनुरूप विद्यालय में होने वाले कक्षा–शिक्षण का डी0आर0जी0 एवं बी0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा नियमित अनुश्रवण/अनुसमर्थन किया जाये।

7. जनपद एवं ब्लाक स्तर पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का वहन सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से किया जायेगा। इस संबंध में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र और न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र को प्रशिक्षण हेतु धनराशि एवं निर्देश प्रशिक्षण के पूर्व उपलब्ध रहे।

अनुश्रवण, वीडियो रिकार्डिंग एवं अभिलेखीकरण– इस संबंध में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपेक्षा है कि प्रत्येक स्तर पर होने वाले सेवारत शिक्षक

प्रशिक्षण की प्रतिदिन – प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के समय 05 मिनट, प्रशिक्षण की मध्यावधि में 05 मिनट और प्रशिक्षण समाप्त होते समय 05 मिनट – नियमित वीडियो रिकार्डिंग करायी जाय। रिकार्डिंग इस प्रकार करायी जाये कि समस्त प्रतिभागियों की प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति एवं अभिरूचि ज्ञात हो सके। प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन लगभग 10 फोटोग्राफ भी इस प्रकार लिये जायें कि समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रतिभागियों की पूरे प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति आच्छादित हो सके। यदि किसी भी स्तर पर वीडियो रिकार्डिंग/फोटोग्राफी नहीं करायी जाती है तो इसके लिए संबंधित जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुश्रवण, वीडियो रिकार्डिंग एवं अभिलेखीकरण पर होने वाला व्यय जनपदों में उपलब्ध Research, Evaluation and Monitoring मद की धनराशि से किया जायेगा।
2. कक्षा शिक्षण में सहयोग हेतु नवविकसित शिक्षक मैनुअल "सम्वाद" के मुद्रण पर होने वाले व्यय का वहन शिक्षक प्रशिक्षण मद में प्रेषित बजट से किया जायेगा ।
3. उपर्युक्त मदों में व्यय की जाने वाली धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल एण्ड प्रोक्योरमेण्ट के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी तथा उपभोग के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र दि0 30 नवम्बर, 2011 तक राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रशिक्षण एवं कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन

प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने, विद्यालयों में रूचिपूर्ण और भेदभाव रहित अधिगम वातावरण बनाने और शिक्षकों के सतत दक्षता संवर्द्धन हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण और अनुसमर्थन आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं कक्षा शिक्षण का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन करने के लिये कार्ययोजना निम्नवत् होगी :–

1. प्रत्येक माह में न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र समन्वयक 05 विद्यालयों, सह–समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र समन्वयक 15 विद्यालयों तथा समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र माह में कम से कम 10 विद्यालयों का कक्षावलोकन सुनिश्चित करेंगे। कक्षावलोकनों से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण करने, अनुसमर्थन प्रदान करने, फीडबैक प्रदान करने तथा गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु नवीन रणनीतियों को बनाने एवं क्रियान्वित करने में किया जायेगा।
2. न्याय पंचायत /नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र स्तर की बैठकों/प्रशिक्षणों का संचालन न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा किया जायेगा। संबंधित विषय के ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र सह–समन्वयक न्याय पंचायत स्तरीय साप्ताहिक बैठकों/प्रशिक्षणों का इस प्रकार से नियोजन करेंगे कि पूरे शैक्षिक सत्र में विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर की प्रत्येक न्याय पंचायत की बैठक में वह प्रतिभाग कर सकें। प्रत्येक माह में सह–समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र 04 तथा समन्वयक, ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र कम से कम 02 न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्रों की बैठक/प्रशिक्षण में प्रतिभाग सुनिश्चित करेंगे।
3. न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र के समन्वयक अपनी न्याय पंचायत में स्थित विद्यालयों के कक्षावलोकन प्रपत्रों तथा केन्द्र पर सम्पन्न होने वाली मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर विश्लेषण आख्या तैयार करके ब्लाक संसाधन केन्द्र को माह के अन्तिम कार्यदिवस पर उपलब्ध करायेंगे।
4. ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के समन्वयक/सह–समन्वयक अपने कक्षावलोकन प्रपत्रों, केन्द्र पर सम्पन्न होने वाली मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों तथा न्याय पंचायत/नगर शिक्षा संसाधन केन्द्र के समन्वयकों की मासिक विश्लेषण आख्या के आधार पर निर्धारित प्रपत्र पर आख्या तैयार करके अगले माह के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
5. इसी प्रकार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला परियोजना कार्यालय अपने कक्षावलोकन प्रपत्रों, जिला स्तरीय मासिक बैठकों/प्रशिक्षणों तथा ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र के समन्वयकों

की मासिक विश्लेषण आख्या के आधार पर अगले माह के द्वितीय सप्ताह तक निर्धारित प्रपत्र पर आख्या तैयार करके राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा संसाधन केन्द्रों/विद्यालयों को अनुसमर्थन हेतु यथोचित निर्देश भी प्रदान करेंगे। यह संकलित विश्लेषण आख्या जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से तैयार करेंगे। इन आख्याओं पर प्रत्येक स्तर पर विचार–विमर्श किया जायेगा तथा अपेक्षित रणनीतियाँ विकसित करने हेतु वॉछित फीडबैक प्रदान किया जायेगा।

6. कक्षा अवलोकन प्रपत्र व विविध स्तर के विश्लेषण प्रपत्रों का प्रारूप "सम्वाद" पुस्तिका में उपलब्ध कराया गया है।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(के० राम मोहन राव)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ०सं० –गु०वि०/सेवारत प्रशिक्षण/2063/ 2011–12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० निशातगंज लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) विद्याभवन निशातगंज लखनऊ।
3. वरिष्ठ सलाहकार, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय।
4. वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य परियोजना कार्यालय।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल।
6. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद को इस आशय से साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें तथा विचलन की आवश्यकता की दशा में राज्य परियोजना कार्यालय से पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त करें।
7. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भुगतान से पूर्व वर्णित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

23.8.11
(दिनेश बाबू शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

पत्रांक– गु0वि0/सेवारत प्रशिक्षण/ / 2011–12 दिनॉक अगस्त, 2011 का संलग्नक

(₹ in Lacs)

Districts	In-service At BRC Level (PS+UPS) (@Rs.0.002 Lacs per teacher x No.of days)		In-service At CRC Level (PS+UPS) (@Rs.0.001 Lacs per teacher x 10 days)		Other (Resource Persons/BRC/ CRC/ Master Trainers) (@Rs.0.001 Lacs per teacher x 6 days)		Total Budget Approved	50% Amount To Be Released
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Fin.	Fin.
1-Agra	8851	106.212	8851	88.510	245	1.470	196.192	98.096
2-Aligarh	8487	101.844	8487	84.870	227	1.362	188.076	94.038
3-Allahabad	11907	142.884	11907	119.070	388	2.328	264.282	132.141
4-Ambedkar Nagar	6588	79.056	6588	65.880	193	1.158	146.094	73.047
5-Auraiya	5661	67.932	5661	56.610	142	0.852	125.394	62.697
6-Azamgarh	12926	155.112	12926	129.260	462	2.772	287.144	143.572
7-Badaun(A)	9352	112.224	9352	93.520	317	1.902	207.646	103.823
8-Baghpat(A)	2870	34.440	2870	28.700	95	0.570	63.710	31.855
9-Baharaich	7970	95.640	7970	79.700	256	1.536	176.876	88.438
10-Balia	9566	114.792	9566	95.660	308	1.848	212.300	106.150
11-Balrampur(A)	5134	61.608	5134	51.340	182	1.092	114.040	57.020
12-Banda	6171	74.052	6171	61.710	144	0.864	136.626	68.313
13-Barabanki	9023	108.276	9023	90.230	264	1.584	200.090	100.045
14-Bareilly(A)	9127	109.524	9127	91.270	274	1.644	202.438	101.219
15-Basti	7138	85.656	7138	71.380	260	1.560	158.596	79.298
16-Bhadohi	4246	50.952	4246	42.460	136	0.816	94.228	47.114
17-Bijnor	8280	99.360	8280	82.800	227	1.362	183.522	91.761
18-Buland Shahar	7961	95.532	7961	79.610	289	1.734	176.876	88.438
19-Chandauli	5227	62.724	5227	52.270	175	1.050	116.044	58.022
20-CSM Nagar	6086	73.032	6086	60.860	255	1.530	135.422	67.711
21-Chitrakoot	3952	47.424	3952	39.520	89	0.534	87.478	43.739
22-Deoria	8833	105.996	8833	88.330	313	1.878	196.204	98.102
23-Etah	5558	66.696	5558	55.580	143	0.858	123.134	61.567
24-Etawah	5920	71.040	5920	59.200	148	0.888	131.128	65.564
25-Faizabad	6508	78.096	6508	65.080	227	1.362	144.538	72.269
26-Farrukhabad	6032	72.384	6032	60.320	152	0.912	133.616	66.808
27-Fatehpur	8687	104.244	8687	86.870	245	1.470	192.584	96.292
28-Firozabad(B)	5538	66.456	5538	55.380	161	0.966	122.802	61.401
29-GBNagar	2312	27.744	2312	23.120	69	0.414	51.278	25.639
30-Ghaziabad	4526	54.312	4526	45.260	145	0.870	100.442	50.221
31-Ghazipur	8778	105.336	8778	87.780	330	1.980	195.096	97.548

32-Gonda	7264	87.168	7264	72.640	303	1.818	161.626	80.813
33-Gorakhpur(B)	10556	126.672	10556	105.560	343	2.058	234.290	117.145
34-Hamirpur	3683	44.196	3683	36.830	115	0.690	81.716	40.858
35-Hardoi(A)	10869	130.428	10869	108.690	352	2.112	241.230	120.615
36-Hathrus	4493	53.916	4493	44.930	129	0.774	99.620	49.810
37-Jalaun	4610	55.320	4610	46.100	162	0.972	102.392	51.196
38-Jaunpur(B)	11580	138.960	11580	115.800	294	1.764	256.524	128.262
39-Jhansi	5354	64.248	5354	53.540	138	0.828	118.616	59.308
40-JPNagar	4858	58.296	4858	48.580	105	0.630	107.506	53.753
41-Kannauj	4934	59.208	4934	49.340	154	0.924	109.472	54.736
42KanpurDehat (RamabaiNagar)	6280	75.360	6280	62.800	190	1.140	139.300	69.650
43-KanpurNagar	8231	98.772	8231	82.310	185	1.110	182.192	91.096
44-KanshiramNagar	3928	47.136	3928	39.280	134	0.804	87.220	43.610
45-Kaushambi	4405	52.860	4405	44.050	149	0.894	97.804	48.902
46-Kushinagar (B)	7449	89.388	7449	74.490	254	1.524	165.402	82.701
47-Lakhimpur	8798	105.576	8798	87.980	285	1.710	195.266	97.633
48-Lalitpur(A)	4063	48.756	4063	40.630	105	0.630	90.016	45.008
49-Lucknow	7185	86.220	7185	71.850	197	1.182	159.252	79.626
50-Maharajganj	5843	70.116	5843	58.430	207	1.242	129.788	64.894
51-Mahoba	2646	31.752	2646	26.460	80	0.480	58.692	29.346
52-Mainpuri	6114	73.368	6114	61.140	161	0.966	135.474	67.737
53-Mathura (B)	6883	82.596	6883	68.830	178	1.068	152.494	76.247
54-Mau	6812	81.744	6812	68.120	173	1.038	150.902	75.451
55-Meerut	5994	71.928	5994	59.940	207	1.242	133.110	66.555
56-Mirzapur	6497	77.964	6497	64.970	210	1.260	144.194	72.097
57-Moradabad(A)	8919	107.028	8919	89.190	209	1.254	197.472	98.736
58-Muzaffar Nagar	7489	89.868	7489	74.890	234	1.404	166.162	83.081
59-Pilibhit	5030	60.360	5030	50.300	143	0.858	111.518	55.759
60-Pratapgarh	8565	102.780	8565	85.650	316	1.896	190.326	95.163
61-RaiBareilly(A)	6827	81.924	6827	68.270	256	1.536	151.730	75.865
62-Rampur	5930	71.160	5930	59.300	132	0.792	131.252	65.626
63-Saharanpur	7642	91.704	7642	76.420	211	1.266	169.390	84.695
64-SKNagar	4203	50.436	4203	42.030	157	0.942	93.408	46.704
65-Shahjahanpur (B)	8204	98.448	8204	82.040	251	1.506	181.994	90.997
66-SiddharthNAgar(A)	6407	76.884	6407	64.070	265	1.590	142.544	71.272
67-Sitapur	12571	150.852	12571	125.710	380	2.280	278.842	139.421
68-Sonebhadra	4950	59.400	4950	49.500	132	0.792	109.692	54.846
69-Srawasti(A)	3110	37.320	3110	31.100	94	0.564	68.984	34.492
70-Sultanpur	7184	86.208	7184	71.840	234	1.404	159.452	79.726
71-Unnao	8451	101.412	8451	84.510	310	1.860	187.782	93.891
72-Varanasi (B)	7547	90.564	7547	75.470	182	1.092	167.126	83.563
Total	**491573**	**5898.876**	**491573**	**4915.730**	**15177**	**91.062**	**10905.668**	**5452.834**

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्रों के माहवार लक्ष्यों का विवरण

Targets of In-Service Teachers' Training for C.M. Review

Districts	Total No. of teachers	Total No. of Resource Persons /BRC/ CRC/ Master Trainers	Total Physical Target	Training Man-days/ Target for C.M. Review
1	2	3	4	Fin.
1-Agra	8851	245	9096	54576
2-Aligarh	8487	227	8714	52284
3-Allahabad	11907	388	12295	73770
4-Ambedkar Nagar	6588	193	6781	40686
5-Auraiya	5661	142	5803	34818
6-Azamgarh	12926	462	13388	80328
7-Badaun(A)	9352	317	9669	58014
8-Baghpat(A)	2870	95	2965	17790
9-Baharaich	7970	256	8226	49356
10-Balia	9566	308	9874	59244
11-Balrampur(A)	5134	182	5316	31896
12-Banda	6171	144	6315	37890
13-Barabanki	9023	264	9287	55722
14-Bareilly(A)	9127	274	9401	56406
15-Basti	7138	260	7398	44388
16-Bhadohi	4246	136	4382	26292
17-Bijnor	8280	227	8507	51042
18-Buland Shahar	7961	289	8250	49500
19-Chandauli	5227	175	5402	32412
20-ChhatrapatiSMNagar	6086	255	6341	38046
21-Chitrakoot	3952	89	4041	24246
22-Deoria	8833	313	9146	54876
23-Etah	5558	143	5701	34206
24-Etawah	5920	148	6068	36408
25-Faizabad	6508	227	6735	40410
26-Farrukhabad	6032	152	6184	37104
27-Fatehpur	8687	245	8932	53592
28-Firozabad(B)	5538	161	5699	34194
29-GBNagar	2312	69	2381	14286
30-Ghaziabad	4526	145	4671	28026
31-Ghazipur	8778	330	9108	54648
32-Gonda	7264	303	7567	45402
33-Gorakhpur(B)	10556	343	10899	65394
34-Hamirpur	3683	115	3798	22788
35-Hardoi(A)	10869	352	11221	67326
36-Hathrus	4493	129	4622	27732
37-Jalaun	4610	162	4772	28632
38-Jaunpur(B)	11580	294	11874	71244
39-Jhansi	5354	138	5492	32952
40-JPNagar	4858	105	4963	29778
41-Kannauj	4934	154	5088	30528
42-KanpurDehat(RamabaiNagar)	6280	190	6470	38820
43-KanpurNagar	8231	185	8416	50496
44-KanshiramNagar	3928	134	4062	24372
45-Kaushambi	4405	149	4554	27324
46-Kushinagar (B)	7449	254	7703	46218
47-Lakhimpur	8798	285	9083	54498
48-Lalitpur(A)	4063	105	4168	25008
49-Lucknow	7185	197	7382	44292
50-Maharajganj	5843	207	6050	36300
51-Mahoba	2646	80	2726	16356
52-Mainpuri	6114	161	6275	37650

Targets of In-Service Teachers' Training for C.M. Review

Districts	Total No. of teachers	Total No. of Resource Persons /BRC/ CRC/ Master Trainers	Total Physical Target	Training Man-days/ Target for C.M. Review
1	2	3	4	Fin.
53-Mathura (B)	6883	178	7061	42366
54-Mau	6812	173	6985	41910
55-Meerut	5994	207	6201	37206
56-Mirzapur	6497	210	6707	40242
57-Moradabad(A)	8919	209	9128	54768
58-Muzaffar Nagar	7489	234	7723	46338
59-Pilibhit	5030	143	5173	31038
60-Pratapgarh	8565	316	8881	53286
61-RaiBareilly(A)	6827	256	7083	42498
62-Rampur	5930	132	6062	36372
63-Saharanpur	7642	211	7853	47118
64-SKNagar	4203	157	4360	26160
65-Shahjahanpur (B)	8204	251	8455	50730
66-SiddharthNAgar(A)	6407	265	6672	40032
67-Sitapur	12571	380	12951	77706
68-Sonebhadra	4950	132	5082	30492
69-Srawasti(A)	3110	94	3204	19224
70-Sultanpur	7184	234	7418	44508
71-Unnao	8451	310	8761	52566
72-Varanasi (B)	7547	182	7729	46374
Total	**491573**	**15177**	**506750**	**3040500**